**गारन्टी का अनुबन्ध**

**(Agreement of a Guarantee)**

आज दिन ............ माह ............ सन् ............ को .. ......... (स्थान) में ............ मध्य (जो बाद में गारेन्टर के नाम से जाना जायेगा जहाँ भी सन्दर्भ स्वीकृति दे उसके वारिसान, प्रबन्धकों, कार्यकारी, ग्रहीता से तात्पर्य है व सम्मिलित है) प्रथम पक्ष और पंजाब नेशनल बैंक जो भारतीय कम्पनीज एक्ट, 1882 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत है और जिसका मुख्यालय, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली में स्थित है। जिसे बाद में बैंक के नाम से कहा जायेगा जिसके अन्तर्गत जहाँ भी जैसा सन्दर्भ स्वीकार करे इसके उत्तराधिकारी और ग्रहीता से भी तात्पर्य व सम्मिलित होगा) द्वितीय पक्ष।

यह कि गारेन्टर्स के अनुरोध पर बैंक द्वारा ............ के रूप में मैसर्स .... को (जिसे बाद में ऋणी कहा जायेगा) एक सुविधा दिया जाना स्वीकार किया गया है जिसकी सम्बन्धित शर्ते ............ में निहित हैं और जिन्हें गारेन्टर्स द्वारा उपरोक्त ऋण के सम्बन्ध में बैंक को देय धन राशि को भुगतान करना स्वीकार किया गया है।

अब इस अनुबन्ध-पत्र में निम्न प्रकार भी सम्मिलित रहेगा :

1. यह कि गारेन्टर्स के अनुरोध पर बैंक द्वारा ............ रूप में ऋणी को अपनी शाखा में उन शर्तों पर जो कि ............ में दर्ज है एक सुविधा देना स्वीकार किया गया है जिसके सम्बन्ध में गारेन्टर्स बैंक के साथ निम्न प्रकार सहमत हैं।
2. यह कि गारेन्टर पृथक रूप से और संयुक्त रूप से माँग करने पर बैंक को तमाम मूल, ब्याज, खर्चा, भार और अन्य राशि जो भी वाजिब हो किसी समय भी ऋणी से भुगतान उस खाते में, जो इस सम्बन्ध में खोला गया है और (जिसे वाद में खाता कहा जायेगा) करायेगा (और कुल हानि, क्षति, कीमत, भार और खर्चे और न्यायिक खर्चे की दशा में वह रकम जो अटार्नी और ग्राहक द्वारा बैंक को किसी त्रुटि के कारण देय हो । इस भुगतान में अस्थाई अथवा अन्य प्रकार की चूक ऋणी द्वारा अथवा गारेन्टर द्वारा अथवा उनमें से किसी के द्वारा भी किये जाने पर उक्त प्रकार के भार किसी वाद के दायर किये जाने अथवा उसका प्रयास किये जाने में वसूली के लिए बिक्री अथवा प्रतिभूति जो कि उक्त ऋण के सम्बन्ध में की जाये अथवा किसी अन्य प्रकार से या अन्य कोई भार (जो कि उक्त प्रकार का हो) जो कि बैंक द्वारा भुगतान किया गया हो जो कि किसी प्रकार की कार्रबाही में भाग लेने के कारण जो कि बैंक द्वारा की जानी अपेक्षित थी अथवा इसने अपने को दूसरों के बिना पक्षकार बनाया हो जिनका सम्बन्ध ऐसी किसी प्रतिभूति से विक्रय मूल्य से हो, भुगतान करेगा।
3. यह कि गारेन्टर यह घोषित करता है कि यह गारेन्टी चालू रहेगी और इसे निरस्त नहीं माना जायगा अथवा इस बात का किसी प्रकार भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि किसी समय यदि खाते में कोई दायित्व न दर्शाये अथवा उसके पक्ष में कोई जमा भी दर्शाये तब भी यह गारन्टी जारी रहेगी और भविष्य में होने वाले सभी लेन देन के सम्बन्ध में कारगर मानी जायेगी।
4. यह कि गारेन्टर बैंक को यह भी सहमति प्रदान करता है कि जब ऋणी के साथ हुए अनुबन्ध का शता में आवश्यकता होने पर कोई फेरबदल किया जाये जिसमें किसी ऋण के सम्बन्ध में प्रतिभति बढ़ाने अथवा अनुसंगिक रूप देने जो कि किसी ऋण के बढ़ाने अथवा घटाने में बाधित हो अथवा का समझौता आदि करने अथवा उसमें समय वृद्धि करने अथवा न करने और उस पर दावा आदि करने में बैंक के साथ जमानत में ऋणी के गारेन्टर के रूप में बना रहेगा। गारेन्टर इस बात के लिए भी सहमत होंगे कि वे बैंक द्वारा उनके दायित्व से ऋणी को मुक्त किये जाने के लिये बरी नहीं किये जायेंगे अथवा बैंक की किसी चूक अथवा कार्य से ऋणी के सम्बन्ध में कानूनी परिणाम त्रणी को मुक्ती प्रदान करने वाला हो अथवा बैंक का कोई कार्य गारेन्टर के रूप में उनके अधिकार के विरुद्ध हो तो गारेन्टर्स के प्रति बैंक के कर्तव्य के लिए उसे उत्तरदायी मानेगा । यद्यपि गारेन्टर्स और ऋणी के मध्य वे केवल गारेन्टर होने के नाते इस बात के लिए सहमत होते हैं कि गारेन्टर्स होने के साथ वे सम्मिलित रूप से ऋणी भी हैं तदनुसार वे किसी कानूनी प्रक्रिया जो अनुबन्ध की शर्तों में किसी प्रकार की तरमीम से सम्बन्धित हों की माँग नहीं करेंगे अथवा धारा 133, 134, 135, 139 और 141 भारतीय कान्ट्रेक्ट एक्ट के तहत गारेन्टर्स को मिले किसी अधिकार की माँग न करेंगे।
5. यह कि गारेन्टर्स बैंक को यह भी सहमति प्रदान करते हैं कि वह समय-समय पर ऋण अंकन रु० ............ की सीमा के नवीकरण की कार्यवाही उससे नवीन दस्तावेज प्राप्त करके करे और वर्तमान खाते को बन्द कर दे, नवीन खाता खोलें, उसे अथवा उसके किसी भाग को बैंक की किसी भी शाखा मे स्थान्तरित करे । इसके होते हुए भी गारेन्टर्स इसके लिए सहमति प्रदान करते हैं और घोषित करते हैं कि वे ऋणी के किसी भी दायित्व के लिए उत्तरदायी होंगे जो कि नवीन सीमा में और नवीन शर्तों के साथ इस अनुबन्ध को लागू माना जायेगा और जो नवीन सीमा के अन्तर्गत उनके उत्तरदायित्व को नियंत्रित करेगा।
6. यह कि गारेन्टर्स यह भी घोषित करते हैं कि बैंक द्वारा प्राप्त सभी डिवीडेन्ड, समझौता राशि और अन्य भुगतान जो ऋणी से अथवा अन्य किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से जो उसके प्रति अथवा उनके प्रतिनिधियों के प्रति देय हों, चुकता भुगतान मानकर प्राप्त किये जायेंगे और गारेन्टर्स अथवा उनके प्रतिनिधियों को कोई अधिकार नहीं होगा कि वे ऐसे लाभों की माँग करें जब तक कि बैंक का सम्पूर्ण ऋण जो ऋणी की ओर अथवा उसके प्रतिनिधि की ओर लगा है जो इस गारेन्टी डीड से आरक्षित है, भुगतान न हो जाये.
7. यह कि कोई अग्रिम, अधिकर्ष अथवा अन्य ऋण सुविधायें जो कि बैंक द्वारा ऋणी को दी जायें जो कि उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित से पृथक हों अथवा अन्य किसी प्रकार की गारेन्टी जमानत की माँग का ऋणी से किया जाना यहाँ पर सुनिश्चित किये गये गारेन्टर्स के दायित्व को समाप्त, कम नहीं करेगा।
8. यह कि गारेन्टर्स इसके लिए भी सहमत हैं कि बैंक और ऋणी के मध्य यदि कोई खाता बेवाक हो जाये अथवा बकाया को उसके द्वारा स्वीकार अथवा पुष्ट किया जाये अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किया जाये जो कि बैंक को देय है वह अन्तिम होगा और वह गारेन्टर्स द्वारा न तो प्रतिवादित किया जायेगा और न ही चुनौती दे सकेंगे।
9. यह कि गारेन्टर्स यह भी सहमति प्रदान करते हैं कि कोई बकाया अथवा ऋण जो ऋणी द्वारा पुष्टित की गई हो अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों ने की हो और उस दायित्व को स्वीकाराक्ति दे दी गई हो अथवा ऋणी ने हस्ताक्षर कर दिये गये हों तो वह गारेन्टर्स पर भी उसी तरीके स और उसी सीमा तक लाग होगा जैसे कि ऋणी अथवा उसके अधिकृत ऐजेन्टस पर और जस उन्हान स्वय किये हो। आगे वे इस पर भी सहमत हैं कि ऋणी अथवा उसके अधिकृत प्रातानाध सभा ऐसी रसीद गारेन्टर्स के दायित्व का भी नवीकरण कर देगी और गारेन्टर्स उस पुष्टित ऋण का भुगतान के उसी प्रकार उत्तरदायी होंगे जैसे कि ऋण उन्हीं के द्वारा गारेन्टेड था।
10. यह कि गारेन्टर्स इस पर भी सहमत है कि बैंक को उक्त खाते के समस्त देयों का ससे अथवा उनकी सम्पत्ति से वसूल करने का अधिकार होगा।
11. यह कि उक्त दशा में यदि ऋणी द्वारा, गारेन्टर्स द्वारा गारेन्टीड ऋण की अदायगी बैंक को कर दी जाती है और परिणामत: बैंक गारेन्टर्स को उनके दायित्व से मुक्त करता है परन्तु बाद में न्यायालय अथवा अन्य किसी प्रकार से यह पाया जाता है कि उक्त भुगतान किसी कपट का भाग था और बैंक को उक्त धनराशि पुन: भुगतान करनी है तो गारेन्टर्स का दायित्व इस गारेन्टीड डीड के अन्तर्गत उसी प्रकार से पुनर्जीवित हो जायेगा जैसे कि उक्त प्रकार का भुगतान कभी हुआ ही नहीं था।
12. यह कि गारेन्टर्स इस पर भी सहमत है कि बैंक को अधिकार होगा कि वह गारेन्टी डीड को गिरवी अथवा बंधाकित प्रतिभूति को लागू किये बिना अथवा वसूल किये बिना भले ही ऋणी द्वारा उक्त खाता में दाखिल किये गये बिल अथवा अन्य लिखित वसूली प्रक्रिया में रत हो और बकाया हो, बैंक लागू कर सकेगा।
13. यह कि गारेन्टर्स द्वारा दी गई गारेन्टी तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक उनको गारन्टी के तहत समस्त बकाया दायित्व का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता । उनकी मृत्यु या पागलपन, से यह गारन्टी डीड तब तक प्रभावित नहीं होगा जब तक बैंक को ओपचारिक वैध नोटिस प्राप्त नहीं हो जायेगा।
14. यह कि यदि गारेन्टर्स द्वारा ऋणी से उनके दायित्व के सम्बन्ध में इस गारेन्टी डीड के अन्तर्गत कोई प्रतिभूति ले ली गई है अथवा बाद ली जायेगी तो गारेन्टर्स उसे ऋण के चुकता करने में बैंक के विपरीत सिद्ध नहीं करेंगे और ऐसी प्रतिभूति बैंक की समझी जायेगी तथा बैक के पास जमा कर दी जायेगी।
15. यह कि जब तक गारेन्टी डीड के तहत कोई धन राशि देय रहती है तो गारेन्टर्स के खातों में जमा राशि पर बैंक का हक होगा अथवा कोई सामान या प्रतिभूति जो कि गारेन्टर्स की हो तो बैंक के नियंत्रण में रहेगी।
16. यह कि त्राणी के द्वारा प्राप्त किये जाने के अपने अधिकारों में यदि कोई कमी हो अथवा उसके प्राप्त किये जाने में बरती गई कोई भी अनियमितता से गारेन्टर्स का उत्तरदायित्व प्रभावित नहीं होगा और कोई भी धनराशि जो ऋणी को दी गई हो को उस कमी अथवा अनियमितता के होते हुए भी देय मानी जायेगी और यह गारेन्टी डीड प्रभावित नहीं होगा यद्यपि ऋणी के नाम अथवा सविधान में कोई परिवर्तन क्यों न हो जाये। आगे यह भी सहमति प्रदान की जाती है कि गारेन्टर्स के विरुद्ध गारेन्टी डीड तब भी प्रभावी रहेगा। इसका प्रभाव न पड़ते हुए कि ऋणी और गारेन्टर्स के मध्य अनुबन्ध कानूनी रूप से लागू न हो सकता था यह भी सहमति प्रदान की जाती है कि गारेन्टर्स द्वारा दी गई गारेन्टी किसी भी कारण से लागू नहीं की जा सके अथवा लागू होने लायक ना रहे तो गारन्टर्स के विरुद्ध उनके द्वारा दी गई गारन्टी क्षतिपूर्ति के रूप में लागू होगी और बैंक को होने वाला हानि क्षति, व्यय व अन्य भार जिसे बैंक ऋणी के खाता से वसूल कर सकता था, वे उसकी क्षतिपूर्ति करने को सहमत है और वचन देते हैं.
17. यह कि इस गारेन्टी के अन्तर्गत बैंक द्वारा दिया गया कोई भी नोटिस अथवा लिखित माँग गारन्टर्स को दिया गया माना जायेगा जो कि उनके लिखे हए पते पर डाक द्वारा दिया जायेगा सार इसका विचार किये बिना कि निवास स्थान का परिवर्तन होने से अथवा मृत्यु आदि से बदल का है, प्रभावी होगा और इसके होते हए भी यह माना जायेगा कि बैंक द्वारा दिया गया नोटिस गारेनटस द्वारा पोस्टिंग के 24 घण्टे बाद प्राप्त कर लिया गया और यदि वह बैंक के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है तो वह पर्याप्त होगा और इस प्रकार की तामील को को प्रमाणित करने हेतु यह प्रमाणित करना पर्याप्त होगा कि माँग के पत्र पर पता सही प्रकार से अंकित था और डाकखाना से भेजा गया था।
18. यह कि गारेन्टर्स इस पर भी सहमत है कि मुख्य ऋणी की खाते की एक प्रति जो कि बैंक की पुस्तकों में दर्ज है, व्यवस्थापक द्वारा हस्ताक्षरित हो जो कि उस कार्यालय में उस समय कार्यरत हो और जहाँ पर वह लेखा रखा जायेगा अथवा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो तो देय धन राशि का मुख्य ऋणी से इस गारेन्टी डीड के अन्तर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही हेतु निश्चायक सबूत माना जायेगा।

गवाहों की उपस्थिति में जहाँ पर गारेन्टर्स और बैंक द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

दिन ............. माह ............ सन् .

**गवाह : ................**

(1)............

(2)............

(3) ..........

**गारेन्टर्स**

**व्यवसाय..............**

**पता.....................**

**बैंक के वास्ते और उसकी ओर से**